

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

नेशनल ई-लोक अदालत

न्यायालय:-न्यायिक दण्डाधिकारी(छ.ग.)

राज्य/प्रतिवादी

विरुद्ध

अभियुक्त/अभियुक्तगण

आपराधिक प्रकरण क्रमांक

:- शमनीय अपराध के शमन हेतु आवेदन :-

यह कि इस प्रकरण में अभियोगी तथा अभियुक्त एक ही गांव के हैं। अतः उन्होंने शांति एवं सद्भावनापूर्वक मेलजोल बनाए रखने के लिए इस प्रकरण में राजी-खुशी से समझौता कर लिया है तथा अभियुक्त पर लगाया गया आरोप न्यायालय की बिना अनुमति से आवेदन द्वारा शमन होने योग्य हैं। आवेदकगण समझौता करने में सक्षम हैं तथा दोनों पक्षों में स्वेच्छा से अपराध को शमित करने का निश्चय किया है। पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में समझौता हो जाने के कारण अब इस प्रकरण में अपराध को शमित कर अभियुक्त/अभियुक्तगण का दोषमुक्त किया जावे।

प्रार्थी/प्रार्थिया का मोबाईल नं०.....
प्रार्थी/प्रार्थिया के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी
आरोपी का मोबाईल नं०.....
आरोपी के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

// आदेश //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड/आदेश)

आवेदक/
प्रतिवादी के
अधि० के हस्ता०

आवेदक/
प्रतिवादी के
हस्ता०

अभियुक्त के
अधि० के हस्ता०

अभियुक्त के
हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य क्रमांक-1.....

सदस्य क्रमांक 2.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

नेशनल ई-लोक अदालत

न्यायालय: न्यायिक दण्डाधिकारी.....(छ.ग.)

राज्य/परिवादी

// विरुद्ध //

अभियुक्त

आवेदक/
परिवादी के अधि०
के हस्ता०

धारा 320 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध के शमन की अनुमति हेतु आवेदन

उपर्युक्त परिवादी निम्नानुसार आवेदन करता है कि :-

- 1/ यह कि इस प्रकरण के अभियुक्त/गण से अपने संबंध मधुर बनाये रखने के लिए इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध का शमन करना चाहता है।
- 2/ आज लोक अदालत के सुलहकर्ताओं ने उभय पक्षकारों को सुनकर दोनों पक्षों के बीच भविष्य में अच्छे संबंध पुनः स्थापित किये जाने हेतु अपराध का शमन करने की सलाह दी है, जिससे उभय पक्षकार सहमत हो चुके हैं। बिना किसी दबाव के पक्षकारों के बीच कोई द्वेष या मनमुटाव नहीं रह गया है।
- 3/ यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफेरिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

आवेदक/
परिवादी के हस्ता०

अभियुक्त के
अधि० के हस्ता०

चूंकि अपराधों में न्यायालय की अनुमति बिना अपराध का शमन नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थना है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध के शमन की अनुमति पक्षकारों को प्रदान की जावे।

प्रार्थी/प्रार्थिया का मोबाईल नं०.....
प्रार्थी/प्रार्थिया के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी
आरोपी का मोबाईल नं०.....
आरोपी के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

अभियुक्त के
हस्ताक्षर

// अवाई //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवाई)

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य क्रमांक-1.....

सदस्य क्रमांक 2.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

नेशनल ई-लोक अदालत

लोक अदालत खण्ड पीठ क्रमांक - 1
न्यायालय सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

- 1.
- 2.
- 3.
- 1.
- 2.
- 3.

आवेदकगण

// विरुद्ध //

आवेदक/ परिवारी
के अधि० के
हस्ता०

अनावेदकगण

मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक
राजीनामा आवेदन-पत्र

आवेदक/आवेदकगण ने इस प्रकरण की दुर्घटना में श्री
की मृत्यु/आहत होने बाबत रुपयेकी क्षतिपूर्ति धन
पाने हेतु यह आवेदन, अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया होकर लम्बित है।

इस प्रकरण में आवेदक/आवेदकगण ने अनावेदक क्रमांकसे
स्वेच्छापूर्वक राजीनामा कर लिया है। जिसकी शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1/ अनावेदक क्रमांकआवेदक क्रमांकको क्षतिपूर्ति धन
की रकम रुपयेअक्षरीअदा करेंगे, जिसमें
वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी सम्मिलित हैं।

2/ अनावेदक अवार्ड की राशि आज दिनांक से 60 दिन की अवधि में न्यायालय में जमा करावेंगे
अन्यथा क्षतिपूर्ति राशि पर आज दिनांक से अदायगी दिनांक तकप्रतिशत वार्षिक
की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

3/ आवेदक/आवेदकगण अन्य अनावेदकगण से कोई सहायता नहीं चाहते हैं। अतः उनके विरुद्ध
प्रकरण समाप्त किया जावे। हम पक्षकारगण के द्वारा विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो
कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किए जाने हेतु सहमति प्रदान की जाती है।

आवेदक का मोबाईल नं०.....
आवेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी
अनावेदक/गण का मोबाईल नं०.....
अनावेदक/गण के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

// अवार्ड //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड)

.....
.....
.....
.....
.....

आवेदक/ परिवारी
के हस्ता०

अना० के अधि० के
हस्ता०

अना० के हस्ताक्षर

कृ०पृ०उ०

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर सदस्यगण :-
सदस्य क्रमांक-1.....
सदस्य क्रमांक 2.....

हस्ताक्षर-
(पीठासीन अधिकारी)

Link of
Family Court-1

Link of
Family Court-2

Link of
Labour Court

कुटुम्ब न्यायालय / श्रम न्यायालय हेतु

नेशनल ई-लोक अदालत समझौतानामा

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक..... दिनांक.....

1/ पक्षकारों के नाम :

.....

.....

2/ प्रकरण क्रमांक :

3/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :

.....

.....

.....

3/ यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में आपसी समझौता हो जाने के कारण अब प्रकरण को समाप्त कर दिया जावे।

आवेदक का मोबाईल नं०.....

आवेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

अनावेदक का मोबाईल नं०.....

अनावेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

// आदेश //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड/आदेश)

आवेदक/ परिवादी
के अधि० के
हस्ता०

आवेदक/ परिवादी
के हस्ता०

अना० के अधि०
के हस्ता०

अना० के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य क्रमांक-1.....

सदस्य क्रमांक 2.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

नेशनल ई-लोक अदालत
(प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों हेतु)

(बैंक/बिजली/टेलीफोन/अन्य मामलों से उदभूत वसूली के प्रकरण)

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रकरण क्रमांक :.....

.....
.....
.....
.....

आवेदक/परिवादी

विरुद्ध

अनावेदक/उत्तरवादी

आवेदक निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करता है :-

.....
.....
.....
.....

उपर दिये गये तथ्यों के आधार पर माननीय खण्डपीठ से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समझौता का निर्धारण कर प्रकरण का निराकरण कर दिया जाये

आवेदक का मोबाईल नं0.....
आवेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं0 एवं ई-मेल आईडी
अनावेदक का मोबाईल नं0.....
अनावेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं0 एवं ई-मेल आईडी

// आदेश //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड/आदेश)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य क्रमांक-1.....

सदस्य क्रमांक 2.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)

आवेदक/
परिवादी के
अधि० के हस्ता०

आवेदक/
परिवादी के हस्ता०

अना० के अधि०
के हस्ता०

अना० के हस्ताक्षर

H.J.S.
Bench-1
Link -1

H.J.S.
Bench-2
Link -2

H.J.S.
Bench-3
Link -3

L.J.S.
Bench-4
Link -4

L.J.S.
Bench-5
Link -5

L.J.S.
Bench-6
Link -6

व्यवहार वाद हेतु

नेशनल ई-लोक अदालत समझौतानामा

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक..... दिनांक.....

- 1/ व्यवहार वाद क्रमांक :
- 2/ पक्षकारों के नाम :
-
-
-
- 3/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :
-
-
-
- 4/ सुलहनामा की शर्तें :
-
-
-

वादी के अधि०
के हस्ता०

प्रतिवादी 1 के
हस्ता०

वादी के अधि० के
हस्ता०

प्रतिवादी के
हस्ताक्षर

यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई-लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में आपसी समझौता हो जाने के कारण अब प्रकरण को समाप्त कर दिया जावे।

आवेदक का मोबाईल नं०.....

आवेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

अनावेदक का मोबाईल नं०.....

अनावेदक के अधिवक्ता का मोबाईल नं० एवं ई-मेल आईडी

// आदेश //

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड/आदेश)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

हस्ताक्षर सदस्यगण :-

सदस्य क्रमांक-1.....

सदस्य क्रमांक 2.....

हस्ताक्षर-

(पीठासीन अधिकारी)